UPMB010010692018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं0–1)/विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0 महोबा।

विशेष वाद संख्या–11/2018

मानिक चन्द्र बनाम राजकुमार

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा–311 दं0प्र0सं0।

————————————————————————————————

07.10.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त राजकुमार हाजिर है। शेष अभियुक्तगण की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जो स्वीकृत हुआ।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 27ख अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है तथा इस प्रकरण में दो गवाह परीक्षित हो चुके हैं, लेकिन आरोप विरचित होने के उपरान्त मुख्य परीक्षा अंकित नहीं हुई है। इस लिए न्याय हित में साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 को साक्ष्य हेतु पुनः तलब किया जाना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 को साक्ष्य हेतु पुनः आहूत किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी।

अभियुक्त पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि उन्हें अभियोजन प्रार्थना पत्र 27ख पर आपत्ति है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखे गये कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के बयान अंकित होते समय प्रार्थना पत्र 27ख में उल्लिखित तथ्यों पर न्यायालय का कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया। साक्षीगण से अभियुक्त पक्ष द्वारा जिरह सुनिश्चित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण को तलब किये जाने के कोई उचित एवं न्याय संगत आधार नहीं हैं।

न्यायालय द्वारा पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक रूपेण परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण पर दिनांक–25.06.2019 को विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोप विरचित किये गये और दिनांक–21.10.2019 को तथा दिनांक–17.03.2021 को विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष पी0डब्लू0–1 मानिक चन्द्र तथा साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय की साक्ष्य अंकित हुई, परन्तु उक्त साक्षीगण की मुख्य परीक्षा विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष अंकित होने का तथ्य पत्रावली के सम्यक रूपेण परिशीलन से दर्शित नहीं है।

साक्ष्य विधि के प्राविधान के आधार पर विचार करें तो धारा–137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्षियों से परिक्षाओं का क्रम उल्लिखित है जिसके अनुसार सर्व प्रथम मुख्य परीक्षा तथा उसके उपरान्त प्रतिपरीक्षा, तद्पोरान्त आवश्यकता होने पर पुनः परीक्षा प्रावधानित है। इस प्रकरण में मुख्य परीक्षा अंकित नहीं हुई है।

धारा–311 दं0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में न्यायालय किसी व्यक्ति को साक्ष्य हेतु समन कर सकती है और किसी व्यक्ति को पुनः परीक्षा हेतु भी आहूत कर सकती है, परन्तु धारा–311 दं0प्र0सं0 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि साक्षियों को साक्ष्य हेतु आहूत किये जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रकार की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा तभी अपनानी चाहिए, जब कि न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर आहूत किया जाना आवश्यक हो। विधिक प्राविधान की ओट में किसी भी पक्ष को विधि के प्राविधान के दुरूपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

उक्त प्रकार के विधिक प्राविधान का सम्यक रूपेण परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि प्रकरण के न्याय संगत विनिश्चिय के दृष्टिकोण से साक्षी पी0डब्लू0–1 मानिक चन्द्र तथा साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय को साक्ष्य हेतु पुनः आहूत किये जाने के उचित एवं न्याय संगत आधार दर्शित होते हैं। तद्नुसार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 27ख स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 27ख अन्तर्गत धारा–311 दं0प्र0सं0 निष्कर्षानुसार स्वीकार किया जाता है।

साक्षी पी0डब्लू0–1 मानिक चन्द्र व साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय पुनः परीक्षा हेतु आहूत हों।

पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक–08.11.2021 को प्रस्तुत हो।

(राजीव कुमार पालीवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं0–1)/
विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0
महोबा।
J.O. No. U.P-6305

Digitally signed by Rajeev Kumar Paliwal
Date: 2021.10.07 16:51:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court